प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्र. 70/2001

श्रीमती सुमिता वोडिटेलवार एवं अन्य .....**याचिकाकर्तागण**

बनाम

छ.ग. शासन एवं अन्य .....**उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 जनवरी 2006 के आदेश को लिये सूचीबद्ध

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

02.01.2006

उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्र. 70/2001

याचिकाकर्तागणः

1. श्रीमती सुमिता वोडिटेलवार, पति श्री श्रीनिवास वोडिटेलवार, उम्र लगभग 50 वर्ष, प्रधानाध्यापक

2. श्रीमती ऊषा पांडया, पति श्री अशोक पांडया, उम्र लगभग 50 वर्ष, सहायक शिक्षिका

3. कु. कुन्ती ठाकुर, पिता श्री जी.एस. ठाकुर उम्र लगभग 50 वर्ष, सहायक शिक्षिका

4. श्रीमती सुनीता सोनी, पति श्री सत्येन्द्र सोनी, उम्र लगभग 50 वर्ष, सहायक शिक्षिका

श्री महावीर जैन विद्यालय, शिक्षक नगर दुर्ग - 491001 (छ.ग.) मे सभी पदस्थ एवं कार्यरत।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छ.ग. शासन, द्वाराः- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सचिवालय रायपुर (छ.ग.)

2. रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी छत्तीसगढ़ सचिवालय, रायपुर (छ.ग.)

3. जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

4. श्री महावीर जैन विद्यालय बाल मन्दिर, शिक्षक नगर, दुर्ग द्वाराः- सचिव, श्री जैन तरूण क्लब, शिक्षक नगर, दुर्ग (छ.ग.)

5. श्री जैन तरूण क्लब दुर्ग (छ.ग.) (रजि. नं. 1218 दिनाक 25.11.1968) द्वारा- सचिव श्री जैन तरूण क्लब, शिक्षक नगर दुर्ग (छ.ग.)

एकल न्यायपीठ: माननीय श्रीमान न्यायधिपति **सतीश के. अग्नीहोत्री, न्यायाधीश**

श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्तागण हेतु अधिवक्ता,

श्री पंकज श्रीवास्तव **उत्तरवादीगण** क्र. 1 से 3 हेतु पैनल अधिवक्ता,

श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ ही श्री पी.आर. पाटनकर, **उत्तरवादीगण** क्र. 04 एवं 05 हेतु अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(03 जनवरी 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **सतीश के. अग्नीहोत्री, न्यायाधीश** के द्वारा पारित किया गया :

1. यह वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिनांक 11.01.2001 को दायर की गयी है जिसमें निम्नलिखित अनुतोष मांगा गया है:-

(i) यह कि माननीय न्यायालय उत्प्रेषण या परमादेश की प्रकृति का रिट जारी करने की कृपा करें, जिससे नोटिस संख्या 0/2000 दिनांक 31.05.2000 को निरस्त किया जा सके। (अनुलग्नक पी/07)

(ii) यह कि माननीय न्यायालय रिट या निषेधाज्ञा की प्रकृति मे निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे उत्तरवादियों एवं उनमें से प्रत्येक को इस याचिका के निपटारे तक प्रभाव और/या आगे प्रभाव देने से रोंके।

(iii) यह कि माननीय न्यायालय **उत्तर**वादियों को मार्च 2000 से आज तक के याचिकाकर्ताओं के बकाया वेतन जारी करने का आदेश देते हुये एक और परमादेश रिट जारी करने की कृपा करें।

(iv) यह कि माननीय न्यायालय न्याय के हित में कोई अन्य रिट याचिका, आदेश या आदेशों, निर्देश या निर्देशों को जारी करने की कृपा करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता क्र. 01 को दिनांक 20.12.1980 के आदेश के अन्तर्गत दिनांक 01.07.1980 को प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया था (अनुलग्न पी/02)। याचिकाकर्ता क्र. 02 को आदेश दिनांक 14.07.1981 के द्वारा सहायक शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था (अनुलग्न पी/3)। याचिकाकर्ता क्र. 03 को आदेश दिनांक 02.07.1984 के द्वारा सहायक शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था (अनुल्गन पी/4) एवं याचिकाकर्ता क्र. 04 को आदेश दिनांक 01.07.1986 (अनुलग्न पी/5) के द्वारा सहायक शिक्षिका के रूप में श्री महावीर जैन बाल मन्दिर, दुर्ग में उत्तरवादी क्र. 05 के द्वारा नियुक्त किया गया था। उक्त नियुक्तिओं को जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के द्वारा मंजुरी दी गई थी। श्री महावीर जैन बाल मन्दिर को सरकार से 100% अनुदान मिल रहा था। तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य ने 31 जनवरी 2000 की अधिसूचना के तहत शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से आगे के लिए 100% अनुदान सहायता में 20% की कटौती कर दी। दिनांक 17.05.2000 को उत्तरवादी क्र. 05 संस्था ने अनुदान सहायता मे कमी के कारण शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से श्री महावीर जैन बाल मंदिर को बंद करने का निर्णय लिया। उत्तरवादी क्र. 5 ने तदनुसार जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल बंद करने के बारे मे सूचित किया। याचिकाकर्ताओं की सेवायें

दिनांक 31.05.2000 के आदेश अनुलग्न पी/7 एवं अनुलग्न आर-5/2 के तहत समाप्त कर दी गई।

3. इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने जबलपुर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसका नाम रिट याचिका क्र. 6069/ 2000 था, जिसमें निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गईः-

(i) माननीय न्यायालय कृपया उत्प्रेषण या परमादेश की प्रकृति मे रिट जारी करने की कृपा करें, जिससे नोटिस क्र. 0/2000 दिनांक 31.05.2000 अनुलग्न पी/6 को रद्द किया जा सके।

(ii) माननीय न्यायालय कृपया निषेधाज्ञा की प्रकृति मे रिट और/या निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे **उत्तर**वादियों और उनमें से प्रत्येक को इस याचिका के निपटारे तक प्रभाव और या आगे प्रभाव देने से रोका जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) यह कि माननीय न्यायालय **उत्तर**वादियों को मार्च 2000 से आज तक के याचिकाकर्ताओं के बकाया वेतन जारी करने का आदेश देते हुये एक और परमादेश रिट जारी करने की कृपा करें।

(iv) यह कि माननीय न्यायालय न्याय के हित में कोई अन्य रिट या रिट, आदेश या आदेशो, निर्देश या निर्देशो को जारी करने की कृपा करें।

4. मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 01.11.2000 को अस्तित्व मे आया एवं इस न्यायालय को रिट याचिका क्र. 6069/2000 स्थानांतरित किया गया था। इस न्यायालय ने दिनांक 10.11.2000 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वर्तमान याचिका के समान ही निम्नलिखित शर्तो पर अनुतोष मांगी गई थीः-

'' याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान जारी करने के बावजूद स्कूल प्रबंधन उन्हे वेतन का भुगतान नही कर रहा है, एवं 5 एक तरफ वही संस्था कहती है कि उन्होंने बंद कर दिया है लेकिन कुछ अलग छद्मनाम के तहत वे अभी भी संस्था चला रहे है, इसलिए वे याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान करने के लिए निर्देश के हकदार है। जहॉ तक वेतन भुगतान का प्रश्न है याचिकाकर्ताओं के पास मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षक संस्था (संस्थागत निधि) नियम 1983 के प्रावधानों के तहत एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। याचिका से ऐसा प्रतीत नही होता कि याचिकाकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष इस प्रावधान का हवाला दिया है, जहॉ तक तर्क के दूसरे भाग का प्रश्न है, यह न्यायालय तथ्य से संबंधित किसी प्रश्न का संज्ञान नही ले सकता। प्रश्न यह है कि क्या एक ही संस्थान को अलग-अलग तरीको से या छद्मनाम से चलाई जा रही है, अनुच्छेद 226 या रिट अधिकारिता के अन्तर्गत यह तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए याचिकाकर्ता अभी भी उचित न्यायाधिकरण में जाने के लिए स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुझे याचिका मे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही दिखता। याचिका खारिज की जाती है।''

5. वर्तमान याचिका उपर समान अनुतोष के लिए 11.01.2001 को दायर की गई थी। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (संस्थागत निधि) अधिनियम 1983 की धारा 11 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी को एक वैधानिक अपील की है (अनुलग्न पी/9)। आगे यह कहा

है कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 01.12.2000 के पत्र (अनुलग्न पी/10) के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को एक स्मरण पत्र भेजा था। जिला शिक्षा अधिकारी समय पर याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय लेने में विफल रहे है, इसलिए उन्ही अनुतोष के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. श्री तामस्कर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वैधानिक अपील याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान न करने तक सीमित थी और याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ कोई अपील उपलब्ध नही थी। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इन याचिकाकर्ताओं द्वारा समान अनुतोष का दावा करते हुए दायर रिट याचिका क्र. 6069/2000 पर विचार करते हुए याचिका को खारिज करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया था, तथा याचिकाकर्ताओं को उचित न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। याचिकाकर्ताओं को उचित न्यायाधिकरण पर जाना था। यह निर्धारित करना और निर्णय लेना न्यायालयों का कार्य नही है कि कौन सा न्यायाधिकरण ज्यादा उपयुक्त होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री प्रीतिकर दिवाकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटनकर विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी क्र 04 एवं 05 के लिये उपस्थित एवं श्री पंकज श्रीवास्तव उत्तरवादी क्र. 1 से 3 के लिए उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि यह रिट याचिका विचारणीय नही है क्योकि याचिकाकर्ताओं ने समान अनुतोष के लिए रिट याचिका क्र. 6069/2000 दायर किया है। यह तर्क दिया की रिस-ज्युडिकाटा के सिद्धांत लागू होंगे क्योकि इस न्यायालय ने पहले ही पक्षों के बीच के विवाद का फैसला कर लिया है एवं याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

8. पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा इस याचिका के दस्तावेजों तथा रिट याचिका क्र. 6096/2000 के शीर्षक का अवलोकन करने के पश्चात मेरा मानना है कि इस मामले मे रिस-ज्युडिकाटा के सिद्धांत लागू होंगे। यही प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष

रिट याचिका क्र. 6069/2000 मे उठाया गया था, जिसके पश्चात रिट याचिका को उचित न्यायाधिकरण मे जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया। यह न्यायालय उसी प्रश्न पर पुनर्विचार नही कर सकता जो रिट याचिका क्र. 6069/2005 मे पारित दिनांक 10.11.2000 के पूर्व आदेश द्वारा अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्व - न्याय का नियम न्यायिक निर्णय के पक्षकारों को एक ही प्रश्न पर बार-बार मुकदमा करने से रोकता है, भले ही निर्णय स्पष्ट रूप से गलत हो। पूर्व की कार्यवाही अंतिम रूप ले चुकी है और पक्षकार इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से आबद्ध है, जबकि उसी प्रश्न पर विचार करते हुए उसी अनुतोष की मांग की गई है।

9. राजेन्द्र कुमार बनाम कल्याण (मृत) मामले मे सर्वोच्च न्यायालय ने [2000 (8) SCC 99] मे माना कि ''रिस जुडिकाटा का सिद्धांत मुख्य रूप से समानता, अच्छे विवेक एवं न्याय का सिद्धांत है। यह न तो न्यायसंगत होगा और न ही न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होगा कि पहले निराकृत किये गए विवादों को बाद में एक अलग कार्यवाही मे प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जब यह याचिका 11.01.2001 को प्रस्तुत की गई थी और लगभग पॉच वर्षो से इस न्यायालय मे विचाराधीन थी तब समानता और न्याय के हित मे यह वांछनीय है कि यदि कोई वैधानिक अपील प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, तो आदेश प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उस पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। यदि याचिकाकर्ताओं ने किसी उपयुक्त प्राधिकरण से संपर्क नही किया है तो, याचिकाकर्ताओं को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त न्यायाधिकरण मे याचिका लगाने की स्वतंत्रता दी जाती है एवं इस स्थिति मे न्यायाधिकरण मे याचिका लगाने हेतु कोई परिसीमा बाधा नहीं बनेगी ।

11. उपरोक्त उल्लेखित कारणों से याचिका को लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश दिए बिना खारिज किया जाता है।

सही/-

सतीश के. अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.